



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ 1945 (श10)

(सं0 पटना 471) पटना, मंगलवार, 13 जून 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 जून 2023

एस० ओ० 220, दिनांक 13 जून 2023—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 110 दिनांक 06 मई, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 267, दिनांक 06 मई, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 अगस्त 2023 से प्रभावी, शब्द "दस करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "पाँच करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 9)1962)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

13 जून 2023

एस० ओ० 220, दिनांक 13 जून 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 9)1962)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 13th June 2023

S.O. 220, Dated 13th June 2023— In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 110, dated the 06th May, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 267, dated the 06th May, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1st day of August, 2023, for the words “ten crore rupees”, the words “five crore rupees” shall be substituted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9)1962)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 471-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>